भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1579

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 मार्च, 2016 को दिया गया)

वित्तीय रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण

1579. श्री चरणजीत सिंह रोड़ी :
श्री राम टहल चौधरी :
श्री दुष्यंत चौटाला :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत कंपनियों के संबध में सूचना अपूर्ण, गलत है और उसका अद्‌यतन नहीं हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या कई कंपनियों ने समय-सीमा के भीतर अपनी वार्षिक रिपोर्ट/रिटर्न, अंकेक्षित रिपोर्ट, तुलन पत्र और लाभ/हानि का ब्यौरा नहीं सौंपा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने वार्षिक रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने कंपनियों द्‌वारा उक्त दस्तावेजों के प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप होने वाली राजस्व हानि का अनुमान लगाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्‌वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख): जी, नहीं।

(ग): जी, हां। एमसीए21 प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार तुलन-पत्र और वार्षिक विवरणियां फाइल नहीं करने वाली कंपनियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं -

- 2015 के लिए केवल वार्षिक विवरणी फाइल नहीं करने वाली - 389503
- 2015 के लिए केवल तुलन पत्र फाइल नहीं करने वाली - 386103
- 2015 के लिए वार्षिक विवरणी और तुलन पत्र फाइल नहीं करने वाली - 374727

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 403 के उपबंधों के अनुसार कोई दस्तावेज विलंब के लिए यथा विहित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर फाइल करने की निर्धारित तारीख से 270 दिनों की अवधि के भीतर फाइल किया जा सकता है।

(घ): जी, हां। सरकार ने वार्षिक विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख 30.12.2015 तक बढ़ायी थी। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख 30.01.2016 तक बढ़ायी गई थी।

(ड.): जी, नहीं।

*****